<u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला–बालाधाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमाक-397 / 2013 संस्थित दिनांक-16.05.2013 फाईलिंग क.234503003152013

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-08/10/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा—11(1)(क) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.05.2013 को 07:45 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड अन्तर्गत ग्राम लोम (जत्ता रोड) में दो नग बैल के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना मलाजखण्ड में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश रंगारी को प्रतिदिन सूचना प्राप्त हो रही थी कि ग्राम लोरा, बैहर, गुदमा, पल्हेरा रोड तरफ मोहगांव बाजार के प्रत्येक दिन कटने वाले मवेशियों को लोग बाजार में खरीदने बेचने लाते हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी द्वारा सभी सड़को पर अलग—अलग कर्मचारियों को लगाया गया था और एस.डी.ओ.पी. बैहर थाना बिरसा का बल लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान एस.डी.ओ.पी बैहर को लोरा जत्ता रोड पर कुछ लोग 7:45 बजे बाजार समाप्ति के बाद मेविशयों को मारते—पीटते हांकते ले जाते दिखें। एस.डी.ओ.पी. बैहर द्वारा थाना प्रभारी को सूचित किया गया। थाना प्रभारी बैहर द्वारा बल एकत्र कर उस रोड पर पहुंचे, जहां पर कुछ लोग मवेशी ले जाते मिले, जिनके मवेशी शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहे थे। कुछ मवेशी को इतना प्रताड़ित किया गया था कि उनसे चलते नहीं बन रहा था और उनके खान—पान पर ध्यान नहीं दिया गया था। कुल 26 मवेशी बैल मालिक सहित

रात्रि में करीब 1:00 बजे लाकर प्रगित मैदान मलाजखण्ड में रखा गया। नगरपालिका से टैंकर बुलावाकर पानी पिलाया गया तथा पैरा दी गई। उक्त सभी पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। कुल 26 नग मवेशी में से 09 मवेशी कमजोर होना लेख है। आरोपी मवेशी मालिक प्रेमलाल पिता शंकरलाल पंचतिलक, उम्र—40 वर्ष, जाति मरार, निवासी ग्राम जत्ता, थाना बैहर के दो नग मवेशी कमजोर पाए गए, जिनकी कीमत 8,000/—रूपये थी। आरोपी से उक्त दो नग बैलों को जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—60/13, पशु कूरता अधिनियम की धारा—11(1)(क) दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये तथा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी के विरूद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा—11(1)(क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। आरोपी ने धारा—313 द.प्र.सं के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना बताया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक—09.05.2013 को 07:45 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड अन्तर्गत ग्राम लोम (जत्ता रोड) में दो नग बैल के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया ?

विचारणीय बिन्दू का सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मुकेश रंगारी (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—09.05.2013 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रतिदिन सूचना प्राप्त हो रही थी कि लोरा, बैहर गुदमा पलेरा रोड़ तरफ मोहगांव बाजार में कटने वाले मवेशी लोग बेचने ले जाते हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारी एस.डी.ओ.पी. बैहर के साथ जाकर उक्त क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। उक्त दिनांक को ही लगभग 8:00 बजे लोरा जत्ता रोड पर बाजार समाप्ति के पास मवेशी को मारते—पीटते ले जाते दिखे थे। थाना प्रभारी द्वारा बल एकत्र कर वे लोग लोरा रोड पर पहुंचे थे और मवेशी जो व्यक्ति ले जा रहे थे, उसको रोककर पूछताछ की थी तो उसने अपना नाम प्रेमलाल बताया था। उक्त मवेशी कमजोर भूखे और चोटिल थे। फिर

आरोपी प्रेमलाल को कहे कि उक्त मवेशियों को प्रगित मैदान मलाजखण्ड लेकर चलो। कुल 26 मवेशी मलाजखण्ड प्रगित मैदान पहुंचने पर नगरपालिका से टेंकर बुलाकर पानी तथा चारा व्यवस्था की गई। फिर दूसरे दिन पशु चिकित्सक से उक्त मवेशियों का परीक्षण कराया गया, जिनमें से डॉक्टर के द्वारा 9 मवेशियों को कमजोर होना बताया गया था, जिसमें आरोपी प्रेमलाल के दो नग मवेशी कमजोर पाए गए थे और आरोपी प्रेमलाल के साथ अन्य लोगों के भी मवेशी थे। आरोपी प्रेमलाल सिहत सभी आरोपीगण की अलग—अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। उसके द्वारा आरोपी प्रेमलाल से साक्षी भैयालाल एवं अगस्तीन के समक्ष दो बैल जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 अनुसार जप्त किए गए थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी प्रेमलाल को साक्षी भैयालाल और अगस्तीन के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि थाने में उसके द्वारा आरोपी प्रेमलाल के विरूद्ध में प्रदर्श पी—5 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक—10.05.13 को कमांक—60 / 13, धारा—11(1)(क) पशु कूरता निवारण अधिनियम के तहत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने साक्षी अगस्तीन, भैयालाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उक्त जप्तशुदा मवेशी को सुरक्षीत रखने हेतु कांजी हाउस प्रभारी मलाजखण्ड को दो नग मवेशी प्रदर्श पी—6 के पत्र के माध्यम से देखभाल करने हेतु भेजा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त की गई कार्यवाही का वापसी सान्हा का लेख सान्हा कमांक—410(ए) दिनांक—10.05.13 के सान्हा में लेख की गई थी, जिसकी मूल प्रति चालान के साथ संलग्न किया था, जो प्रदर्श पी—7 है और रवानगी सान्हा कमांक—392 ए, दिनांक—09. 05.13 की मूल प्रति प्रदर्श पी—8 है, जो चालान के साथ संलग्न किया है।
- 7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा अपराध की संपूर्ण विवचेना की गई है और अपराध का सूचनाकर्ता भी वही है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मामलें में संपूर्ण कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया गया है।
- 8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी भैयादास (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे आरोपी से मवेशी पकड़ने की जानकारी नही है तथा उसके सामने आरोपी से मवेशी जप्त नहीं किया गया था और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने

अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती कार्यवाही का साक्षी होकर जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 9— मवेशियों का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. अरूण नेमा (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे उसने 26 बैलों का परीक्षण किया था। उक्त बैलों का परीक्षण करने पर दो बैलों को कमजोर होना पाय था, किन्तु उचित देखभाल करने पर कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होना पाया था। साक्षी ने बैलों पर कोई चोट के निशान नहीं पाए थे। इस प्रकार साक्षी ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 में परीक्षण किये गए मवेशी बैलों को कथित कूरता या मारपीट किये जाने संबंधी कोई चोट के निशान नहीं पाए जाने की स्वीकारोक्ति से आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।
- 10— अभियोजन की ओर से अन्य साक्षीगण को पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत चिकित्सीय साक्षी से कथित जप्तशुदा मवेशी को कूरता कारित किये जाने के कोई चिन्ह या निशान न होने की साक्ष्य से तथा जप्ती के साक्षी के द्वारा जप्ती कार्यवाही का समर्थन न किये जाने से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही और आरोपी के विरूद्ध पशुओं के विरूद्ध कथित कूरता कारित किये जाने के संबंध में कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक ही जप्ती अधिकारी के द्वारा मामलें में संपूर्ण कार्यवाही अकेले निष्पादित किये जाने और उसकी कार्यवाही का समर्थन किसी साक्षी के द्वारा न किये जाने से तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामलें का समर्थन न किये जाने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।
- 11— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के समय आरोपी दो नग बैल के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया। अतएव आरोपी को पशु कूरता अधिनियम की धारा—11(1)(क) अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 12— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
- 13— प्रकरण में जप्तशुदा दो नग बैल के सुपुर्ददार प्रेमलाल पिता शंकरलाल पंचतिलक, उम्र–40 वर्ष, जाति मरार, निवासी ग्राम जत्ता, थाना बैहर, जिला बालाघाट

को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

ATTHER OF THE PORT OF THE PORT

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट